न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 139/16 निर्णय दिनांकः–11.10.2018

1. धोंकलराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवाल निवासी गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28–06–2011
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28–06–2011 जिसके द्वारा अपीलांट का टीसी से पुख्ता आवंटन खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 13 बीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 186/26 की 24 बीघा भूमि का टीसी आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा

भी प्रदान कर दिया गया था। अपीलांट का तभी से वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रकरण में अपीलांट

द्वारा अदालत मातहत के समक्ष नियमानुसार टीसी से पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में अपीलांट को आंटन हेतु सक्षम माना गया तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलांट को टीसी का रकबा पुख्ता आवंटन कर दिया गया। अपीलांट काफी समय तक आवंटन पट्टे का इंतजार करता रहा परन्तु अदालत मातहत द्वारा आवंटन पट्टा जारी नहीं किये जाने पर अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को अवगत कराया गया कि पुराने पीठासीन अधिकारी हा तबादला हो गया है तथा आंवटन आदेश पर उनके हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इसलिए आवंटन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का फोटो फार्म तस्दीक नहीं करवाया गया है, जबकि उक्त कार्य की जिम्मेदारी अदालत मातहत स्वयं की थी। इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। इस प्रकार अपीलांट का फोटो फार्म तस्दीक नहीं करवाया जाना व आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर अंकित नहीं किया जाना, सक्षम अधिकारी की गलती है जिसका खामियाजा अपीलांट को नहीं मिलना चाहिए। वादगत् भूमि पर अपीलांट का आज दिनांक को भी निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—06—2011 के विरूद्व अपील दिनांक 10—10—11 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने व आवंटन तिथि अंकित नहीं होने व अपीलांट का फोटो फार्म तस्दीक नहीं होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—06—2011 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 10—10—2011 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर टीसी से पुख्ता आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। इस संबंध में अदालत मातहत की आदेशिका का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि चक 13 बीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 186/26 की 24 बीघा भूमि का टीसी आवंटन होना अंकित किया

गया है। परन्तु साथ में यह भी अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट के आवंटन पत्रावली की आदेशिका में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ना ही किसी प्रकार की कोई तिथि का अंकन है। इसी के साथ अपीलांट के फोटो फार्म को भी तस्दीक नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन होना नहीं पाये जाने पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

(3) प्रकरण में जब तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि अपीलांट की आवंटन पत्रावली पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं होना, आवंटन तिथि अंकित नहीं होना व अपीलांट का फोटो फार्म तस्दीक नहीं होना इस बात की पुष्टि करते है कि वादगत् भूमि का अपीलांट को आवंटन नहीं किया गया है। जब तक अपीलांट का फोटो फार्म संबंधित तहसीलदार द्वारा तस्दीक नहीं किया जाता तब तक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर आवंटन संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रकरण में जब अपीलांट का फोटो फार्म ही संबंधित तहसीलदार द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में यह साबित होता है कि अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर वादगत् भूमि के आवंटन की प्रक्रिया का आरम्भ ही नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(4) लिहाजा अदालत मातहत ने अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन होना नहीं पाये जाने के आधार पर अपीलांट का आवंटन प्राथना निरस्त किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, का आदेश दिनांक 28–06–2011 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर